5.6. व्यतिक्रमी मीटर

(क) अनुज्ञप्तिधारी को किसी मीटर और सम्बन्धित उपकरण का परीक्षण करने का अधिकार होगा यदि मीटर की शुद्धता के बारे में युक्तियुक्त संदेह है और उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण के संचालन में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। लेकिन, उपभोक्ता को परीक्षण के दौरान उपस्थित होने की अनुज्ञा दी जायेगी।

(ख) उपभोक्ता अपने परिसर पर संस्थापित मीटर की, अपेक्षित परीक्षण फीस के साथ विहित प्ररूप (संलग्नक 5.1) में अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन करके परीक्षा करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी से अनुरोध कर सकेगा, यदि वह मीटर अध्ययन की शुद्धता पर संदेह करता है, जो विद्युत के उसके उपभोग, मीटर के रुकने सील को क्षति के अनुरूप नहीं है। अनुज्ञप्तिधारी मीटर का परीक्षण करेगा :

(*i*) आवेदन के प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर उपभोक्ता के परिसर में; या

(*ii*) तीस दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी की प्रयोगशाला या स्वतंत्र प्रयोगशाला; या

(*iii*) आवेदन के दाखिल करने के सात दिनों के भीतर विद्यमान मीटर के साथ शृंखला में परीक्षित जांच मीटर को स्थापित करके।

(ग) उपभोक्ता के परिसर में मीटर के परीक्षण के मामले में मीटर का परीक्षण एक किलोवाट के न्यूनतम उपभोग के लिए किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी का मीटर परीक्षण दल परीक्षण को निष्पादित करने की पर्याप्त क्षमता के भार के तापन का क्रियान्वयन

करेगा। प्रकाशीय स्कैनर का प्रयोग स्पन्द/परिक्रमण की गणना के लिए किया जा सकेगा या मीटर का परीक्षण आई० एस०/आई० ई० आर० 1956 में विहित प्रक्रिया के अनुसार या एल० टी० मीटर के लिए जल जांच के माध्यम से या अन्य के लिए आर० एस० एस० के माध्यम से किया जायेगा। जल जांच और आर० एस० एस० वर्ष में एक बार राष्ट्रीय ख्याति के प्रयोग ख्याति के प्रयोगशाला में शोधित किया जायेगा :

(*i*) यदि मीटर पूर्णतया सही पाया जाता है, तो पुन: कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी,

(*ii*) यदि मीटर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तेज/मन्द पाया जाता है और उपभोक्ता रिपोर्ट से सहमत होता है, तो मीटर को पन्द्रह दिनों के भीतर नये मीटर से बदला जायेगा और उस मास के, जिसमें विवाद उत्पन्न हुआ है, पूर्व तीन पूर्व मास का बिल अन्तिम परिणाम के अनुसार पश्चात्वर्ती बिल में समायोजित किया जायेगा। यदि मीटर मन्द होना पाया जाता है, तो उपभोक्ता के अनुरोध पर इन प्रभारों की वसूली किस्तों में की जायेगी, जो तीन से अधिक न हो,

(*iii*) यदि उपभोक्ता परीक्षण के परिणाम पर विवाद करता है या उपभोक्ता के परिसर पर परीक्षण कठिन है, तो त्रुटिपूर्ण मीटर को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नये परीक्षित मीटर द्वारा बदला जायेगा और त्रुटिपूर्ण मीटर उपभोक्ता की उपस्थिति में सील के बाद अनुज्ञप्तिधारी की प्रयोगशाला/स्वतन्त्र प्रयोगशाला/विद्युत निरीक्षक में परीक्षण किया जायेगा, जैसा उपभोक्ता द्वारा सहमति दी गई है। उपभोक्ता द्वारा प्रयुक्त एक बार विकल्प को परिवर्तित नहीं किया जायेगा। परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर विनिश्चय अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता पर अन्तिम होगा।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी/स्वतन्त्र परीक्षण प्रयोगशाला में मीटर के परीक्षण के मामले में–

(*i*) उपभोक्ता को कम से कम सात दिन अग्रिम में प्रस्तावित तारीख की सूचना दी जायेगी, जिससे वह परीक्षण के समय व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सके,

(*ii*) उपभोक्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का, यदि कोई उपस्थित हो, हस्ताक्षर परीक्षण परिणामपत्र पर अभिप्राप्त किया जायेगा,

(*iii*) परीक्षण, बिल का परिणाम और यदि उपभोक्ता परीक्षण के परिणाम पर विवाद करता है, तो वह वही होगा, जैसा कि उक्त खण्ड 5.6 (ग) में प्रदान किया जायेगा।

टिप्पण-(i) अनुज्ञप्तिधारी आयोग को अपने परीक्षण प्रभार के साथ ख्याति प्राप्त और अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशाला की सूची के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा।

(ii) लेकिन आई० ई० आर० 1956 के प्रावधानों का तब तक अनुसार किया जायेगा, जब तक अधिनियम की धारा 53 और 55 के अधीन नियम निर्मित नहीं किये जाते।

(ङ) यदि जांच मीटर संस्थापित किया जाता है और यदि परीक्षण की अवधि के 7-15 दिनों बाद विद्यमान मीटर को अनुज्ञेय सीमा के परे तीव्र या मन्द होना पाया जाता है और परीक्षण पर परिणाम पर उपभोक्ता द्वारा विवाद नहीं किया जाता, तो उसे भविष्य के मापन के लिए उसके स्थान में जांच मीटर को छोड़कर हटाया जायेगा और उस मास के, जिसमें विवाद उत्पन्न हुआ है, पूर्व तीन मास के बिल को परीक्षण परिणाम के अनुसार अगले बिल में समायोजित किया जायेगा। जहां परीक्षण परिणाम पर विवाद किया जाता है, वहां उक्त खण्ड 5.6 (ग) के अनुसार, यथास्थिति, प्रक्रिया का अनुसार किया जायेगा।

5.7. मीटर (एम० डी० आई० को शामिल करके) जो अभिलिखित नहीं करता

(क) उपभोक्ता से अनुज्ञप्तिधारी को यथाशीघ्र यह सूचना देने की प्रत्याशा की जाती है, ज्यों ही उसे यह ज्ञात होता है कि मीटर स्थगित हो गया है/अभिलिखित नहीं कर रहा है।

(ख) यदि आवधिक या अन्य निरीक्षण के दौरान, मीटर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभिलिखित न करने वाला होना पाया जाता है या उपभोक्ता इस सम्बन्ध में परिवाद करता है, जो अनुज्ञप्तिधारी पन्द्रह दिनों के भीतर मीटर का परीक्षण करने की व्यवस्था करेगा।

(ग) यदि मीटर वास्तव में अभिलिखित न करने वाला पाया जाता है, तो यह परीक्षण के पन्द्रह दिनों के भीतर बदल दिया जायेगा।

(घ) उपभोक्ता को अन्तिम परीक्षण की तारीख और त्रुटिपूर्ण मीटर के बदलने की तारीख से बीच के अवधि के लिए अन्तिम रीडिंग के पूर्व तीन बिल चक्र के औसत अधिकतम मांग और औसत उपभोग के आधार पर बिल दिया जायेगा। औपबन्धिक बिल, यदि कोई जारी किया जाता है, तदनुसार समायोजित किया जायेगा।

(ङ) उन मामलों में, जहां उस तारीख के पूर्व, जिसको मीटर त्रुटिपूर्ण हो गया था, विगत तीन बिल चक्र का अभिलिखित उपभोग या तो उपलब्ध या तो उपलब्ध नहीं है या अंशत: उपलब्ध है, उपभोग प्रतिमान, जैसा कि तीन बिल चक्र के लिए नये/मरम्मत किये गये मीटर के उपभोग से अभिप्राप्त है, उपभोग के प्राक्कलन के लिए ग्रहण किया जायेगा।

(च) औसत उपभोग की संगणना करते समय, भार के मौसम का सम्यक् विचारण किया जायेगा और ऐसे मामलों में उसी अवधि के लिए पूर्व वर्ष के उपभोग को ग्रहण किया जायेगा संयंत्र के बन्द करने और कायम रखने के कारण उद्योग की बन्दी के दौरान उपभोग का सम्यक् संज्ञान अभिलेख के सावधानीपूर्ण सत्यापन के बाद या ऐसी बन्दी अवधि के दौरान जांच मीटर के माध्यम से उपभोग को सुनिश्चित करके अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा।

5.8. जले हुए मीटर

(क) यदि मीटर जला हुआ पाया जाता है, तो या तो उपभोक्ता के परिवाद पर या अनुज्ञप्तिधारी के निरीक्षण पर :

(*i*) अनुज्ञप्तिधारी जले हुए मीटर का त्याग करने के बाद तत्काल आपूर्ति को प्रत्यावर्तित करेगा,

(*ii*) स्थल पर आवश्यक निवारक कार्यवाही को भावी क्षति को निवारित करने के लिए यथासम्भव शीघ्र की जायेगी,

(*iii*) पाया गया आधिक्य भार उपभोक्ता को खण्ड 6.9 के अनुसार प्रभार का निक्षेप करने के लिए उपभोक्ता से कहकर हटाया जायेगा या नियमित किया जायेगा,

(*iv*) नया मीटर खण्ड 5.4 (क) में दिये गये उपभोक्ता द्वारा प्रयुक्त विकल्प के अनुसार तीन दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संस्थापित किया जायेगा।

(ख) यदि सम्भव हो, तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता परिसर से हटाये गये जले हुए मीटर का परीक्षण करेगा और खण्ड 5.6 (घ) में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा। यदि मीटर का परीक्षण करना सम्भव नहीं है, तो उपभोक्ता को 5.7 (घ) से 5.7 (च) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार बिल दिया जायेगा।

5.9. त्रुटिपूर्ण/जले हुए मीटरों के प्रतिस्थापन का व्यय

(क) मीटर के प्रतिस्थापन का खर्च उपभोक्ता द्वारा या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन वहन किया जायेगा :

(ख) लोप किया गया।

(*i*) यदि परीक्षण के परिणामस्वरूप यह साबित किया जाता है कि मीटर तकनीकी कारणों अर्थात् वोल्ट घट-बढ़, अस्थिरता इत्यादि के कारण जलता है, तो अुज्ञप्तिधारी पर अधिरोपित किये जाने योग्य है, जो मीटर के खर्च का वहन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा। लेकिन यदि यह साबित हो जाता है कि मीटर उन कारणों से जला था, जो उपभोक्ता पर अधिरोपित करने योग्य है अर्थात् उपभोक्ता के संस्थापन उपभोक्ता द्वारा अप्राधिकृत भार के संयोजन इत्यादि के कारण, को व्यय का वहन उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा,

(*ii*) यदि परीक्षण के परिणामस्वरूप यह साबित किया जाता है कि मीटर को मीटर में हस्तक्षेप करने के लिए उपभोक्ता द्वारा दूषित करने या किसी अन्य जानबूझकर कार्य के कारण त्रुटिपूर्ण बनाया गया था, तो मीटर के खर्च का वहन उक्त रूप में उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा। उपभोक्ता का निर्धारण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के अधीन किया जायेगा और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अधीन दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, विधि के अधीन दण्डनीय रूप में कार्यवाही चोरी और दूषित करने के लिए उपभोक्ता के विरुद्ध की जायेगी।

(ग) यदि मीटर जला हुआ पाया जाता है और यह विश्वास करने का कारण है कि अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारी ने सीधा संयोजन दिया था, तो मीटर के प्रतिस्थापन के लम्बित रहने के दौरान सीधे चोरी का मामला दाखिल नहीं किया जायेगा। जले हुए मीटर के प्रतिस्थापन के लिए उपभोक्ता का परिवाद या ऊर्जा की आपूर्ति में विखण्डन से सम्बन्धित परिवाद को इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त माना जायेगा।

(घ) मीटर के प्रतिस्थापन के सभी मामले में, जहां व्यय का वहन उपभोक्ता द्वारा किया जाना है, उसे स्वयं खण्ड 5.2 और 5.4 के अनुसार मीटर और सम्बद्ध उपकरण को उपाप्त करने के लिए विकल्प होगा।